IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय : सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी

योजना संख्या–02

5सी–101–104 हंसपुरम् कानपुर

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्रांक / / दिनांक

प्रदेशन–पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु0 ....
....
....

महोदय/महोदया,

आपके पंजीकरण/चालान संख्या.............................. के विरूद्ध आपके सहमति पत्र दिनांक .... के आधार पर दिनांक.................. . को लाटरी/नीलामी से कानपुर नगर की हंसपुरम योजना संख्या– 02 में आपको भवन/भूखण्ड संख्या...................................... नगद/आधा नगद/किश्त कय प पर परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है जिसके विरूद्ध दिनांक.............................. तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपे है।

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल..
मूल्य रू0..
भवन निर्माण लागत रू0..
भूखण्ड सहित भवन का मूल्य रू0..................................
(ग) नकद कय पर भुगतान योग्य धनराशि रू0.....................
(घ) आधा नकद/किश्त कय पद्वति पर भुगतान योग्य..........
धनराशि रू0..
1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रू0.........................
2. प्रथम किश्त के साथ एक मुश्त/आधा नकद देय धनराशि रू0..
3. शेष धनराशि निकटतम रू0 100 के पूर्णांक में रू0..
4. अवशेष मूल्य रू0.. पर .... प्रतिशत ब्याज लगाकर

बनाई गई.. मासिक किश्तों में से प्रथम किश्त जो दिनांक............................... से देय होगी रू0.......................
5. जमा योग्य धनराशि (योग्य) रू0... ....

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0..
उक्त पर दिनांक........................से..........................तक
4 प्रतिशत की दर से ब्याज रू0..
योग..

(च) **विविध शुल्क**

1. विलेख निष्पादन व्यय रू0...........................
2.. विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत रू0...........................
3. साईट प्लॉन हेतु रू0...........................
4. विविध शुल्कों का योग रू0...........................

(ड) **सेवाकर का विवरण**

1. भवन के कुल मूल्य पर देय सेवाकर रू0...........................

नोट–1– किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर .... % की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा
2– न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) में अंकित धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया यशोदा नगर, कानपुर नगर में परिषद के संग्रह खाता (पीली पर्ची में) तथा (च) ((ड) की धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया यशोदा नगर, कानपुर नगर में परिषद के विविध खाता (लाल पर्ची में) दिनांक...................... तक अवश्य जमा करनी होगी यदि आवंटी उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने के तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण के लि निर्धारित रू0.. का 20 प्रतिशत जब्त करते हुये आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी तीन माह पश्चात आवंट निरस्तीकरण की प्रार्थना करता है अथवा परिषद की औपचारिकताएं पूर्ण कर कब्जा न लेने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण की निर्धारित धनराशि का 50 प्रतिशत कटौ करते हुये उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते है और न ही आवंटन पत्र के निर्ग होने की उक्त समय सीमा की अवधि के अन्दर कोई लिखित सूचना देते है उन्हें एक अन्य पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिनों के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हे प्रेषित किया जायेगा और यदि फिर भी आवंटी वांछित धनराशि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर नहीं जमा करते है तो उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि में कटौती करते हुए उनका पंजीकरण एवं प्रदेशन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवंटित सम्पत्ति को किसी अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

यदि किसी मामले में आवंटी द्वारा अतिरिक्त समय लिया जाता है अथवा अन्य पत्राचार में अधिक समय लगता है तो पंजीकरण की धनराशि से 50 प्रति कटौती की जायेगी। नकद क्रय पद्वति पर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में जमा पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड एवं भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत तथा दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दो माह के अन्दर करने की तिथि में आवंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय/व्य भूखण्डों पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवधि भौतिक कब्जा पत्र की निर्गत तिथि से क्रमशः.............................. वर्ष तथा .... वर्ष है।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रथम पृष्ठ पर अंकित वांछित धनराशि एवं प्रपत्र दिनांक .... तक इस कार्यालय में जमा कर दे रू0... प्रतिदिन की दर से भुगतान एवं सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0 .... प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख–रखाव शुल्क देय होगा। डाक के विलम्ब हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।

नोटः– उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद – भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम 1971 (यथा संशोधित जून 1986, मूल्य 10 विक्रय हेतु समस्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध है)

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक................................. तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

1– पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
2– राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने दो हस्ताक्षरित फोटोग्राफ जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा अपना नाम पता अंकित हो, प्रस्तुत करें।
3– निम्नलिखित प्रारूप में रू0 10/– के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
4– पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, फोटो पहचान पत्र आदि की प्रति स्वः प्रमाणित प्रस्तुत करें।
5– विलेख/अनुबन्ध हेतु शासनादेश के अनुसार नान जूडियशल स्टैम्प पेपर.. देय होंगे।

शपथ पत्र का प्रारूप

समक्ष सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं (नाम).. पुत्र/पुत्री... उम्र.............. निवासी.. नि शपथ पूर्वक कहता हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंसतः कानपुर नगर में नहीं है और उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में अधिक आवासीय भूखण्ड नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों द्वारा उपनगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. समस्त धनराशि मेरे द्वारा जमा की गयी है। पस्तुत जमा की रसीदों में एवं जमा राशि में विवाद की दशा में मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
5. मा0 न्यायालय के आदेशों से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त सूचित मूल्य में परिवर्तन होता है तो परिषद द्वारा मांगी गयी धनराशि करने हेतु मैं बाध्य हुँगा/हूँगी। चाहे वह धनराशि रजिस्ट्री के बाद माँग की जायेगी।
6. आवंटन पत्र में सूचित जमा धनराशि एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी जमा की रसीदों में किसी प्रकार का अन्तर होने पर/मिथ्या पाये जाने पर परिषद द्वा धनराशि जमा करने के लिए उत्तरदायी हुँगा/हूँगी।
7. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष.. की वार्षिक आय जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं बच्चे भी सम्मिलित है कुल रू0.. से अधिक नहीं है।

   मैं नाम.. घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 7 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है)

स्थान...   शपथी

दिनांक...

प्रमाणित
मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी